कार्यालय निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23 (10) लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी.वि.एवं प्रो. रा.यो./ 2013–14/ 1639 दिनांक 04-10-2013

समस्त संबंधित प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः–देवनारायण छात्रा प्रोत्साहन राशि योजना अन्तर्गत छात्राओं को राशि वितरित किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत देवनारायण छात्रा प्रोत्साहन राशि योजना वर्ष 2013–14 के प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच में पाया गया है कि कुछ छात्राओं ने गत परीक्षा उत्तीर्ण की इन्टरनेट से प्राप्त अंकतालिका की प्रति संलग्न की है । मूल अंकतालिका की सत्यापित प्रति संलग्न नहीं करने के अभाव में उन्हें प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है ।

अतः आप ऐसी छात्राओं से मूल अंकतालिका की सत्यापित प्रति प्राप्त कर निदेशालय को दिनांक 25–11–2013 तक भिजवाने का श्रम करें ताकि प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जा सके । समय पर मूल अंकतालिका की सत्यापित प्रति नहीं भिजवाने पर यदि छात्रा को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत नहीं होती है तो उसका उत्तरदायित्व संबंधित छात्रा एवं महाविद्यालय का होगा ।

(डॉ. सी. एम. खटीक)
संयुक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)

क्रमांक एफ 23 (10) लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी.वि.एवं प्रो. रा.यो./ 2013–14/ 1640 दिनांक 4/10/13

प्रतिलिपि श्री धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाईट प्रभारी को विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करने हेतु।

4/10/13
सहायक लेखाधिकारी (छात्रवृति)